रहमत

मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा नं. 20 सन् 2015

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	24.04.2015 यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा रहमत बेवा कमरूद्दीन जाति मुसलमानं निवासी अलीगंज तहसील गंगापुर सिटी की ओर से श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट ने हमारे समक्ष पेश किया। प्रार्थिया के वकील को सुना गया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जरिए नोटिस की जावे। प्रार्थिया के वकील ने प्रस्तुत मामले में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है। इस बिन्दु पर वकील प्रार्थिया को सुना गया । प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया के ख0नं0 86 रकबा 76 एयर एवं ख0नं0 461/85 रकबा 28 एयर ग्राम अलीगंज में कोई निर्माण कार्य नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को जरिए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी 22.05.2015 तक पाबंद किया जाता है। आदेश से अप्रार्थीगण को सूचित किया जावे। पत्रावली दिनांक 22.05.2015 को पेश हो । पत्रावली ... पक्षकार/वकील ... P.O. साहब ... पत्रावली दि0 24.7.15 ... रीडर 23-6-2015 पत्रावली आज लोक अदालत शिविर अहमदपुर मे पेश हुई। वादिया एवं प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश कर अपने दावे का निर्णय करवा लिया है इसलिए दावे के निर्णय अनुसार यह T.I. प्रा०पत्र निर्णीत किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे। (रवि कुमार शर्मा) सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी (मुनिदेव यादव) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी	नि० रहमत नि० ... नि० फूल ...